...लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

...जस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 38/2021

दायर दिनांक – 25.08.2021

निर्णय दिनांक – 29.10.2021

प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021

जीसीएमएस नं0 –2021/101

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री विरेन्द्र कुमार उबाणा पुत्र श्री नाथूलाल उबाणा जाति माली ग्राम 623/2 गली नंबर 5 रामनगर तहसील अजमेर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री एस0के0 चौधरी, अधि0, प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम रामपुरा नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि ... संख्या 58 के खसरा नंबर 131 रकबा 2.64 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/8 ... के इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या नया 19 पुराना 17 खसरा नंबर 194 कुल किता 1 कुल रकबा 16–6–10

29.10.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

...र सिंह पुत्र मंगेज सिंह व मदन सिंह मुत्त. नारायण सिंह जातियान राजपूत के ... हिस्से को प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खरीदकर कब्जा व दखल प्राप्त ... जिसका पंजीयन उप–पंजीयक कार्यालय पुष्कर में दिनांक 07.12.2007 को क्रमांक ...81/07 पर पंजीबद्ध किया गया। उक्त खरीदशुदा आराजी का वर्किंग जमाबंदी में जरिये ...मा0 संख्या 144 दिनांक 14.03.2008 को राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम अमल दरामद हो चुका। उक्त नवीन खसरा नंबर के खाता संख्या नया 58 पुराना 58 संवत् 2071 से 2074 के खसरा नंबर 131 रकबा 2.64 है0 में प्रार्थी के हिस्सा 1/8 गलती व सहवन से दर्ज कर दिया गया है जबकि उक्त खाते में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/1951 दिनांक 23.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " राजस्व ग्राम नांद के वर्किंग खाता संख्या 19 में नामा0 सं0 6 विरासत द्वारा एजन कंवर मोहन कंवर बेवा जालिम सिंह के बजाय मदनसिंह मुत. नारायणसिंह मु. किशनकंवर बेवा नारायण सिंह व भंवरसिंह पुत्र मंगेज सिंह का अंकन स्वीकार हुआ तथा नामा0सं0 145 दिनांक 14.05.2008 द्वारा भंवरसिंह पि. मंगेज सिंह मदनसिंह मुतबन्ना नारायणसिंह का हिस्सा बेचान द्वारा विरेन्द्रकुमार उबाना पुत्र नाथूलाल उबाना जाति माली निवासी ग्राम 623/2 गली नं. 5 रामनगर अजमेर का अंकन स्वीकार हुआ। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी वर्किंग अनुसार खातेदार किशनकंवर पत्नी नारायण सिंह हिस्सा 1/12 का नाम सह खातेदार के रूप में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2041 के खाता सं0 19 में नामा0सं0 145 द्वारा भंवरसिंह पि. मंगेज सिंह मदनसिंह मुत. नारायण सिंह का हिस्सा वादी के नाम अंकन स्वीकार हुआ। किन्तु हिस्सा सही दर्ज नहीं है। हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/6 उचित है। राजस्व ग्राम रामपुरा नांद के वर्किंग खसरा नंबर 194 का आधार मिलान क्षेत्रफल अनुसार 131 बना है। राजस्व ग्राम रामपुरा नांद के खाता सं0 58 के खसरा नंबर 131 रकबा 2.64 है0 पर प्रार्थी विरेन्द्रकुमार उबाना पुत्र नाथूलाल उबाना हिस्सा 1/8 जाति माली दर्ज है। किन्तु प्रार्थी का हिस्सा वर्किंग जमाबंदी अनुसार हिस्सा 1/6 बनता है। अतः **खसरा नंबर 131 रकबा 2.64 है0 पर खातेदार विरेन्द्र कुमार उबाना पुत्र नाथूलाल उबाना जाति माली हिस्सा 1/6 किया जाना उचित होगा।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:22 IST
Reason: SelfAttested

29.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार [illegible]र की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र, इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम रामपुरा नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के भूमि खाता संख्या 58 के खसरा नंबर 131 रकबा 2.64 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/8 के स्थान 1/6 हिस्से की इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व **ग्राम** नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 58 के खसरा नंबर 131 रकबा 2.64 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 1/8 के स्थान 1/6 दर्ज/तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

29.10.21

सुखाराम पिण्डेल

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel

Date: 2021.12.02 10:46:22 IST

Reason: SelfAttested